

(iv) साथ ही कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में दिव्यांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों का छूट अनुमान्य है ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो ।

5. परीक्षा की पद्धति :- सर्वप्रथम एक **कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय)** ली जायेगी, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे । इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का **हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच** परीक्षा ली जायेगी ।

(i) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा :- इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे । प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा । परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे ।

प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं । साथ ही प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी की जाएगी । प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा । अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे ।

इस परीक्षा में निर्मांकित विषय होंगे :-

- (क) सामान्य अध्ययन - प्रश्नों की संख्या 50 होगी ।
- (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित - प्रश्नों की संख्या 20 होगी ।
- (ग) मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार - प्रश्नों की संख्या 30 होगी ।

इस परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षाफल, अनुवर्ती टंकण जाँच परीक्षा के निमित्त घोषित किया जायेगा । इस निमित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति / जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे ।

वैसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग / किसी राज्य लोक सेवा आयोग / अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो । उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर सभा सचिवालय का निर्णय अन्तिम होगा ।

अधिक आवेदन प्राप्त होने पर यह परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है । विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जायेगी । समानीकरण की प्रक्रिया की जानकारी [FAQ \(Frequently Asked Questions about Equating of Scores on Multiple Forms\)](#) के अन्तर्गत देखी जा सकती है ।

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे :-

(क) **सामान्य अध्ययन :-** इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) **सम-सामयिक विषय :-** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सम-सामयिक घटनायें, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल-खिलाड़ी।

(ii) **भारत और उसके पड़ोसी देश :-** पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास / संस्कृति / भूगोल / आर्थिक परिदृश्य / कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आन्दोलन में बिहार का योगदान।

(ख) **सामान्य विज्ञान एवं गणित :-** इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :-

(i) **सामान्य विज्ञान :-** भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान।

(ii) **गणित :-** संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि।

(ग) **मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार (Mental Ability & Logical Reasoning) :-**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :- सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

टंकण जाँच परीक्षा :-

कम्प्यूटर परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुणा संख्या के बराबर निर्धारित अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन टंकण जाँच परीक्षा हेतु किया जायेगा।

हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-10/परी-1049/77 का०-9, दिनांक 06.01.1978 के आलोक में यह जाँच परीक्षा 10-10 मिनट की होगी एवं टंकण में हुई गलतियों में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत छूट अनुमान्य है। उक्त टंकण जाँच परीक्षा कम्प्यूटर / साधारण टंकण यंत्र पर ही ली जायेगी। वैसे अभ्यर्थी जो साधारण टंकण यंत्र पर टंकण परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें साधारण टंकण यंत्र स्वयं लाना होगा।

6. **मेधा सूची :-** उपर्युक्त कोटि के आरक्षणवार रिक्तियों को भरने के निमित्त कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में से टंकण जाँच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा में किसी एक पद पर दो अभ्यर्थियों में से एक के चयन की स्थिति उत्पन्न होने पर उस पद के लिए निर्धारित वांछित योग्यता को आधार माना जाएगा। इन पदों के लिए निर्धारित वांछित योग्यता की जानकारी बिहार विधान सभा सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में संलग्न अनुसूची के अवलोकन से प्राप्त की जा सकती है।

7. **परीक्षा शुल्क :-** कम्प्यूटर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, आरक्षित / अनारक्षित महिला एवं 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए ₹ 100/- (एक सौ रुपये) तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 400/- (चार सौ रुपये) का शुल्क निर्धारित है।

अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय Net Banking / Credit / Debit Card के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

नोट:- वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है:-

(i)	रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) तथा ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि	09.10.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 31.10.2018 को 05:00 बजे अपराह्न तक
(ii)	परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	31.10.2018 तक
(iii)	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	31.10.2018 तक

(2) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए सभा सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार / परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।